न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3594–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–7–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर अपील प्रकरण कमांक 93/12–13.

अनिल पुत्र केशव
निवासी ग्राम नांदुरा खुर्द
तहसील खकनार जिला बुरहानपुर ....आवेदक

विरूद्ध

संतोष पिता केशव
निवासी ग्राम नांदुरा खुर्द
तहसील खकनार जिला बुरहानपुर ....अनावेदक

श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक,आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ६/७/१५ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश 24–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम नांदखुर्द के कोटवर केशव पिता संपत द्वारा अस्वस्थता के कारण कार्य करने में सक्षम नहीं होने से तहसीलदार, खकनार जिला बुरहानपुर के समक्ष कोटवार पद से त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार ने दिनांक 20–8–2009 के आदेश द्वारा उनका त्याग पत्र स्वीकार किया जाकर रिक्त कोटवार

की नियुक्ति हेतु प्रकरण कमांक 2/अ–56/2008–09 दर्ज कर दिनांक 15–9–2009 को आदेश पारित कर अस्थाई कोर्टवार के रूप में अनावेदक संतोष पिता केशव की नियुक्ति की गई । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर जिला बुरहानपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–2–2010 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आदेश दिनांक 15–9–2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में विधि अनुसार संहिता के नियमों का पालन किया जावे एवं गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये । प्रकरण प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–56/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही करते हुए दिनांक 8–8–2012 को आदेश पारित कर अनावेदक संतोष को स्थाई कोटवार के पद पर नियुक्ति किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–11–2012 के द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 8–8–2012 निरस्त किया जाकर आवेदक अनिल को स्थाई कोटवार नियुक्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–7–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21–11–2012 निरस्त किया गया एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 8–8–2012 यथावत रखते हुए द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक भूतपूर्व कोटवार केशव का बड़ा पुत्र है और पिता के अस्वस्थता में वह विगत 15–18 वर्ष से अपने पिता की जगह कोटवार पद का कार्य कर रहा था। यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव आवेदक के पक्ष में है तथा ग्राम पटेल एवं ग्रामवासियों की सहमति भी आवेदक के पक्ष में है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कोटवार पद की पूर्ण योग्यता रखता है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया गया है जो अपने स्थान पर उचित है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए इस्तहार का प्रकशन किया जाकर, आपत्तियां आमंत्रित की गई एवं अनावेदक को योग्य पाते हुए विधिवत आदेश पारित कर अनावेदक को स्थाई कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया है । यह भी कहा गया कि मात्र ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर ही कोटवार की नियुक्ति नहीं की जा सकती । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है इसलिए वह कोटवार पद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है । अतः तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था, न्यायालय द्वारा आवेदक पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होने से दोष मुक्त किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना खकनार द्वारा दिनांक 5–8–2009 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदक के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण कमांक 180/06 धारा 379 आई0पी0सी0 का चोरी का पंजीबद्ध होना उल्लिखित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया इस आशय का निष्कर्ष विधिसंगत है कि आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति का होने से उसे कोटवार पद की पात्रता नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–2013 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर